

उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लिमिटेड

UTTAR PRADESH JAL VIDYUT NIGAM LIMITED

(A U.P. Govt. Enterprise)

Save Energy for Benefit of Self and Nation

स्वहित एवं राष्ट्रहित में बिजली बचाएं

CIN-U31901UP1955SGC007135

Registered/Corporate Office:

12th Floor, Shakti Bhawan Extension,

14- Ashok Marg, Lucknow- 226001

Phone: 0522-2287037

RAX No. : 0522- 2287701 Ext. 4653



रजिस्टर्ड/कारपोरेट कार्यालय :

12वां तल, शक्ति भवन विस्तार,

14-अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

फोन: 0522-2287037

फैक्स नं० : 0522-2287701 वि.नं.-4653

संख्या - 1771/का० एवं प्रशा०/जविनिलि०/23-03(10)/2000/वा०-।।।

दिनांक 30.06.2023

कार्यालय ज्ञाप

एतद्वारा निगम कार्यहित में निम्नलिखित कार्यालय सहायकों को स्तम्भ-04 में उल्लिखित उनके वर्तमान कार्यालय/कार्यस्थल से स्थानान्तरित करते हुए स्तम्भ-05 में अंकित कार्यालय/कार्यस्थल पर तैनात किया जाता है :-

क्र० सं०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का कार्यालय/स्थल	नवीन तैनाती का कार्यालय/स्थल
01	02	03	04	05
01.	श्री राज कुमार कपिल	कार्यालय सहायक-प्रथम	जल विद्युत उत्पादन खण्ड, खारा, सहारनपुर।	विद्युत उत्पादन खण्ड, मुजफ्फरनगर।
02.	श्रीमती निशी बाला शिवहरे	कार्यालय सहायक-द्वितीय	जल विद्युत उत्पादन मण्डल, माताटीला, ललितपुर।	निगम मुख्यालय, लखनऊ
03.	श्रीमती पार्वती देवी	कार्यालय सहायक-द्वितीय	विद्युत उत्पादन खण्ड, पिपरी, सोनभद्र।	ओबरा जल विद्युत गृह, ओबरा, सोनभद्र।

- उपरोक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे तथा स्थानान्तरित कार्मिक इस आदेश की निर्गमन की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना नवीन कार्यस्थल पर कार्यभार ग्रहण करेंगे।
- नियंत्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि स्थानान्तरित कार्मिक को उपरोक्तानुसार तत्काल अवमुक्त किया जाये तथा विद्यमान आदेशों के अनुसार स्थानान्तरित कार्मिक कार्यमुक्ति की तिथि को वार्षिक गोपनीय आख्या का अंकन तथा स्वांकन प्रस्तुत करें।
- नियंत्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि स्थानान्तरित कार्मिक कार्यमुक्त होते समय इकाई से सम्बन्धित समस्त पत्रावलियाँ (पृष्ठ संख्या अंकित कर) तथा चार्ज नोट 02 प्रतियों में तैयार कर एक प्रति नियंत्रक अधिकारी को देंगे तथा एक प्रति स्वयं अपने पास रखेंगे।
- स्थानान्तरण पर नियमानुसार यात्रा भत्ता तथा कार्यभार ग्रहणकाल अनुमन्य होगा।
- उक्त तैनाती आदेश जनहित याचिका संख्या-79/1997 में मा० सर्वोच्च न्यायालय के अन्तिम निर्णय दिनांक 21.03.2007 में निहित निर्देशों के अनुरूप है।

प्रबन्ध निदेशक


संख्या - 1771/ का० एवं प्रशा०/जविनिलि०/23-03(10)/2000/वा०-।।।, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल विद्युत निगम लि०, लखनऊ के निजी सचिव।
- निदेशक (तकनीकी)/(वित्त), उ०प्र० जल विद्युत निगम लि०, लखनऊ।
- मुख्य अभियन्ता (परि० एवं अनु०), उ०प्र० जल विद्युत निगम लि०, लखनऊ।

Handwritten signature

4. उप महाप्रबन्धक (मित एवं लेखा), उ०प्र० जल विद्युत निगम लि०, लखनऊ।
5. अधीक्षक अभियन्ता, जल विद्युत उत्पादन मण्डल, उ०प्र० जल विद्युत निगम लि०, पिपरी/खारा/माताटीला।
6. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत उत्पादन खण्ड, पिपरी/ओबरा/खारा/माताटीला/मुजफ्फरनगर।
7. अधिशासी अभियन्ता, रिहन्द कालोनी सिविल अनुरक्षण खण्ड, पिपरी/जानपद निर्माण खण्ड, खारा।
8. अधिशासी अभियन्ता (नु), उ०प्र० जल विद्युत निगम लि०, लखनऊ को निगम के वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
9. लेखाधिकारी (आहरण एवं वितरण)/(वेतन एवं लेखा), उ०प्र० जल विद्युत निगम लि०, लखनऊ।
10. सम्बन्धित :-
 - (i) श्री राज कुमार कपिल, कार्यालय सहायक-प्रथम।
 - (ii) श्रीमती निशीबला शिवहरे, कार्यालय सहायक-द्वितीय।
 - (iii) श्रीमती पार्वती देवी, कार्यालय सहायक-द्वितीय।
11. वैयक्तिक पत्रावली/कट फाईल।


(मो० अलीम)
उप सचिव (का० एवं प्रशा०)